



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तराखण्ड
State Council of Educational Research and Training Uttarakhand,
Nanoorkhera, Dehradun
Phone: : 0135-2789655, फ़ैक्स: 0135-2789656
e-mail: scertuk@gmail.com, scertuk.te@gmail.com

पत्रांक : SCERT/शि.शि. सेवापूर्व/ 298-300 /दो-I (34)/2024-25 दिनांक 19 अप्रैल, 2025

द्विवर्षीय डी.एल.एड. (D.El.Ed.) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 हेतु चयनित (औपबंधिक) अभ्यर्थियों के राज्य स्तरीय काउंसलिंग पश्चात् प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटन संबंधी सूचना

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा द्विवर्षीय डी.एड.एड. प्रशिक्षण 2022-23 प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों (औपबंधिक) की राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 07, 08 एवं 09 अप्रैल, 2025 को सम्पादित की गई। उक्त काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के चयनित वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों एवं काउंसलिंग में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं प्रमाणपत्रों तथा अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जनपद विकल्प पत्र में दिए जनपद विवरण के आधार पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वर्गवार एवं श्रेणीवार सीट उपलब्धता के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किए गए हैं। अभ्यर्थी दिनांक 22 से 26 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्य रूप से आवंटित जनपद के संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

चयनित (औपबंधिक) अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु वर्गवार एवं जनपदवार आवंटन की सूचना तथा संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु निर्देश तैयार कर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in तथा एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(पदमेन्द्र सकलानी)

प्र०अपर निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
देहरादून

पू.सं. : SCERT/शि.शि. सेवापूर्व/ 298-300 / दो-I (34)/2024-25 दिनांक- उक्ताकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सम्पादक, अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञापित को 10 X 7 सेमी. के साइज में अपने लोकप्रिय दैनिक सामाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे जिसका प्रचार-प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञापित प्रकाशित होने के बाद जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

प्र०अपर निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
देहरादून